राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/डिग्गी/2016–17/1408-1517 दिनांक : 29.4.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/
जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।

विषयः– वर्ष 2016–17 मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 332–498 दि0 04.04.2016 एवं पत्रांक 755–876 दि0 06.04.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2016–17 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रक्रिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2016 में शिविर आयोजित कर कृषकों से डिग्गी निर्माण के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)
आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/डिग्गी/2016–17/1408-1517 दिनांक : 29.4.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी ।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर/बीकानेर/कोटा खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां /बूंदी समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
24. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

डिग्गी निर्माण कार्यक्रम

वर्ष 2016–17

कृषकों के खेतों पर डिग्गी निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

अ–अनुदान की पात्रता :–

1. कृषक जो गंग, भाखड़ा, सिद्धमुख नोहर, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र या चम्बल सिंचित क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट आवंटी, गैर खातेदार है, अनुदान के पात्र होंगे।
2. आवेदन कर्ता कृषक के पास कम से कम 01 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है। कृषि कार्य योग्य सिंचित भूमि 01 हैक्टेयर से कम लेकिन आधा हैक्टेयर से अधिक होने की स्थिति में भी कृषक अनुदान का पात्र होंगा लेकिन अनुदान की न्यूनतम सीमा 4.00 लाख लीटर की भराव क्षमता ही सीमित होगी।
3. कृषक जो अपने फार्म पर वर्ष में कम से कम एक फसल लेते हैं, अनुदान के पात्र होंगे।
4. क्षेत्र की मुख्य नहर एवं सह–नहर चालू हालत में होना आवश्यक है।
5. यदि डिग्गी निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में अनुदान से लाभान्वित कृषक अन्यत्र स्थिति दूसरे चक/गांव में भूमि का स्वामित्व रखता है, जिसके लिए पृथक से सिंचाई बारी स्वीकृत हो, वह कृषक उस चक/गांव में डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान का पात्र होगा।
6. कृषक को अनुदान हेतु **आधार कार्ड/भामाशाह** कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

ब–आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण :–

1. **(अ)कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर**
   - कृषक नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
   - कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
   - कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।
   - संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।
   - इन सेवाओं से संबंधित वस्तु–स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन–लाइन उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।